न्यायालय – राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एम0के0 सिंह**
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2402–चार/2000 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–10–2000 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना प्रकरण क्रमांक 35/99–2000/निगरानी.

नारायण सिंह पुत्र श्री राजबहादुर सिंह
निवासी ग्राम अकलोनी, परगना मेहगांव
जिला भिण्ड म.प्र. ..... आवेदक

विरूद्ध

जगन्नाथ पुत्र सरमन जाटव
निवासी ग्राम अकलोनी तहसील मेहगांव
जिला भिण्ड म.प्र. ..... अनावेदकगण

श्री एस.के. अवस्थी, अधिवक्ता, आवेदक.
श्री अजय शर्मा, अधिवक्ता, अनावेदक.

आदेश

(आज दिनांक 2-9 –2015 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 35/99–2000 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31–10–2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में उल्लिखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक अधिवक्ता को 7 दिवस में लिखित तर्क दिए जाने का समय दिया गया था किंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है ।

5/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण वसीयत के आधार पर नामांतरण का है । प्रकरण में अभिलिखित भूमिस्वामी अनुसूचित जाति वर्ग का है जबकि वसीयतग्रहीता वर्ण जाति यानि की ठाकुर हैं । अपर आयुक्त ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए यह पाया है कि प्रकरण में मूल वसीयत पेश नहीं की गई है और जो वसीयतनामा एस.डी.ओ. के समक्ष पेश हुआ है वह सादे कागज पर है जिसकी फोटो काफी पेश की गई है जो अस्पष्ट है । इस कारण उन्होंने वसीयत को संदिग्ध माना है । उन्होंने यह भी पाया है कि आवेदक का प्रश्नाधीन भूमि से क्या संबंध है तथा उसका क्या हित निहित है, यह स्पष्ट नहीं है उक्त आधारों पर अपर आयुक्त ने अपर कलेक्टर, द्वारा पारित आदेश को हस्तक्षेप योग्य न पाते हुए निगरानी को निरस्त किया गया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त का आदेश औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत है और उसमें ऐसी कोई विधिक या सारवान त्रुटि नहीं है जिस कारण हस्तक्षेप आवश्यक हो ।

परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर